अध्याय-III

निधि प्रबंधन

3 निधि प्रबंधन

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों की अनुच्छेद 7.8 के अनुसार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधि पूर्ववर्ती किस्त के उपयोग के आधार पर प्रति वर्ष चार किश्तों में जारी किया जाना था। दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में उपलब्ध निधि को जल जीवन मिशन निधि में अंतरण किया जाना चाहिए। जल जीवन मिशन के लिए निधि की व्यवस्था सामुदायिक अंशदान से भी किया जाना चाहिए। निधि के उपयोग न होने, प्रगति न होने, केन्द्रांश का कम जारी होना आदि पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा नीचे दिए गए कंडिकाओं में की गई हैं।

3.1 जल जीवन मिशन निधियों के जारी होने तथा व्यय की स्थिति

जल जीवन मिशन एक समयबद्ध मिशन-मोड कार्यक्रम है एवं इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, सुदृढ़ वित्तीय योजना, समय पर वित्तपोषण, पर्याप्त संसाधन जुटाना एवं निधि का सही उपयोग आवश्यक है। जल जीवन मिशन के लिए निधि तीन हिस्सों में उपलब्ध थी, अर्थात कवरेज[1] पर परियोजना व्यय का 93 प्रतिशत तक (केंद्र-50: राज्य-50), सहायक गतिविधियाँ[2] पर परियोजना व्यय का पांच प्रतिशत तक (केंद्र-60: राज्य-40) एवं जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी[3] पर परियोजना व्यय का दो प्रतिशत तक (केंद्र-60: राज्य-40)।

जल जीवन मिशन के लिए घटक वार जारी की गयी निधि एवं व्यय **तालिका 3.1** में दिखाए गए हैं।

---

1 ग्रामीण घरों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के हिसाब से पाइप से जलापूर्ति के लिए अधोसंरचना प्रदान किया गया है।

2 जल के विवेकपूर्ण उपयोग, सामुदायिक अंशदान एवं स्वामित्व के बारे में जागरूकता फ़ैलाने एवं समुदायों को संवेदनशील बनाने, गाँव में मूलभूत ढाँचे की योजना बनाने, उसे लागू करने, प्रबंधित करने, संचालित करने एवं अनुरक्षण करने के लिए ग्राम पंचायतों या उसकी उप-समिति की क्षमता का निर्माण करने के लिए गतिविधियाँ आयोजित की गई।

3 जल गुणवत्ता की निगरानी एवं चौकसी के अंतर्गत जल गुणवत्ता परिक्षण प्रयोगशालाओं में जल के स्त्रोतों से लिए गए जल के नमूनों की जाँच सम्मिलित है। निगरानी समिति द्वारा फील्ड परीक्षण किट एवं स्वच्छता निरिक्षण का उपयोग करके किया जाता है।

तालिका 3.1: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी की गयी निधियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा कुल आबंटन	केंद्रीय निधि जारी				कुल जारी राज्य निधि	वर्ष के दौरान जारी कुल निधि
		कवरेज	सहायक गतिविधि	जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण	कुल जारी केंद्रीय निधि		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8 (6+7)
2019-20	208.04	22.57	1.21	0.49	24.27	24.27	48.54
2020-21*	445.52	269.84	14.51	5.80	290.15	283.95	574.10
2021-22	1,908.96	517.84	27.84	11.14	556.82	543.64	1100.46
2022-23	2,223.98	2080.28	111.84	44.74	2,236.86	2,184.97	4,421.83
2023-24	4,485.60	2683.57	144.28	57.71	2,885.56	2,825.23	5,710.79
कुल	**9,272.10**	**5,574.10**	**299.68**	**119.88**	**5,993.66**	**5,862.06**	**11,855.72**

(स्रोतः कार्यालय, मिशन संचालक, जल जीवन मिशन से प्राप्त जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

(* जल जीवन मिशन खाते में जमा की गई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शेष राशि ₹13.83 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 6.93 करोड़ + राज्यांश 6.90 करोड़ तथा उसमे भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त निधि के रूप में जारी एवं छत्तीसगढ़ शासन का समतुल्य अंशदान ₹ 900 करोड़ सम्मिलित है।)

उपरोक्त तालिका वर्ष 2019-24 के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि को दर्शाती है तथा **तालिका 3.2**, जल जीवन मिशन के विभिन्न अवयवों के अंतर्गत हुए व्यय का विवरण प्रदर्शित करती है।

तालिका 3.2: जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2019-20 से 2023-24 तक किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कवरेज		सहायक गतिविधि		जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी		केंद्राश से व्यय	राज्यांश से व्यय	कुल व्यय
	केंद्राश (50%)	राज्यांश (50%)	केंद्राश (60%)	राज्यांश (40%)	केंद्राश (60%)	राज्यांश (40%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10 (8+9)
2019-20	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	11.68	23.36
2020-21	217.18	217.18	3.37	2.24	2.57	1.72	223.12	221.14	444.26
2021-22	470.66	470.66	20.83	13.88	7.71	5.14	499.20	489.68	988.88
2022-23	2,051.47	2,051.47	50.54	33.69	9.74	6.49	2,111.75	2,091.65	4,203.40
2023-24	2,654.51	2,654.51	34.67	23.12	4.51	3.00	2,693.69	2,680.63	5,374.32
कुल	**5,405.50**	**5,405.50**	**109.41**	**72.93**	**24.53**	**16.35**	**5,539.44**	**5,494.78**	**11,034.22** [4]

(स्रोतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

[4] उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार वर्ष 2019-24 के दौरान कुल व्यय ₹ 11,034.26 करोड़ था तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के e-Works पोर्टल के अनुसार वर्ष 2019-24 के दौरान कुल व्यय ₹ 11,034.22 करोड़ था।

ऊपर दिए गए तालिका से देखा जा सकता है कि ₹ 9,272.10 करोड़ के कुल आबंटन में से भारत सरकार द्वारा ₹ 5,993.66 करोड़ जारी किए एवं राज्य सरकार ने अपना अंश ₹ 5,862.06 करोड़ दिया, जो ₹ 71.60 करोड़ कम था।

भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किए गए कुल ₹ 11,855.72 करोड़ की धनराशि में से ₹ 11,034.22 करोड़ (93 प्रतिशत) व्यय किए गए थे। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा जमा किए गए खाते के लेखापरीक्षित विवरण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के व्यय पोर्टल यानी 'e-Works' में व्यय के आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2024 तक उपयोग की गई राशि में ₹ 0.04 करोड़[5] का अंतर था।

3.2 केंद्राश का प्राप्त न होना

केंद्र एवं राज्य के बीच निधि साझा करने का अनुपात 50:50 है। जल जीवन मिशन दिशानिर्देश की अनुच्छेद 7.8 में कहा गया है कि राज्यों को दो समान किश्तों में वार्षिक आबंटन जारी किया जाएगा एवं प्रत्येक किश्त राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा निधि के उपयोग का आकलन करने के बाद दो भागों में जारी किया जाएगा।

निधि आबंटन एवं केंद्राश के जारी किये जाने का किश्तवार विवरण नीचे **तालिका 3.3** में दिखाया गया है।

तालिका 3.3: केंद्राश का आबंटन एवं स्वीकृति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार का आबंटन	किश्त 1		किश्त 2		अतिरिक्त निधि	कुल मंजूरी	आबंटन के विरुद्ध केंद्राश की कम मंजूरी
		भाग 1	भाग 2	भाग 1	भाग 2			
1	2	3	4	5	6	7	8(3+4+5+6+7)	9 (2-8)
2019-20	208.04	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	65.82	142.22
2020-21	445.52	111.38	111.38	111.38	0.00	0.00	334.14	111.38
2021-22	1,908.96	477.24	0.00	0.00	0.00	0.00	477.24	1,431.72
2022-23	2,223.98	555.99	555.99	555.99	555.99	0.00	2,223.96	0.02
2023-24	4,485.60	496.39	496.39	496.39	496.39	900.00	2,885.56	1,600.04
कुल	**9,272.10**	**1,706.82**	**1,163.76**	**1,163.76**	**1,052.38**	**900.00**	**5,986.72**	**3,285.38**

(स्रोतः भारत सरकार के सालाना आबंटन पत्र एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति के मंजूरी आदेश पत्र के अनुसार)

वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹ 65.82 करोड़ की पहली किश्त स्वीकृत एवं जारी की गई, जिसमें से राज्य केवल ₹ 24.27 करोड़ का केंद्राश आहरित कर सका, जिसमें राज्य का ₹ 24.27 करोड़ का बराबर का अंश मिलाकर नोडल बैंक खाते में जमा किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष तीन किश्तें राज्यांश की प्रतिबद्धता सहित उपयुक्त व्यय योजना के अभाव

[5] वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24 के दौरान अंतर की राशि क्रमश ₹: 0.04 करोड़, ₹ 0.10 करोड़ एवं (-) ₹ 0.10 करोड़ थी।

में भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गई थी। इसी प्रकार धीमी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा राज्य सरकार के पास बजट के अभाव में राज्य वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में क्रमशः चार में से केवल तीन (₹ 334.14 करोड़) तथा चार में से केवल एक (₹ 477.24 करोड़) किश्त ही प्राप्त कर सका। इसके अतिरिक्त 2023-24 में, भारत सरकार ने ₹ 4,485.60 करोड़ के आवंटित निधि में से 1,600.04 करोड़ जारी नहीं किए।

इस प्रकार, छत्तीसगढ़ शासन के पास आवश्यक निधि के अभाव में वांछित वित्तीय प्रगति हासिल न होने के कारण राज्य, केंद्र सरकार से 16 किस्तों में से सात क़िस्त प्राप्त नहीं कर सका था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9,272.10 करोड़ के कुल आबंटन में से ₹ 3,285.38 करोड़ का केन्द्रीय अनुदान नहीं मिल सका, जिसके कारण राज्य को जल जीवन मिशन निधि के ₹ 6,480.04 करोड़ से वंचित होना पड़ा था, जिसमें राज्य का ₹ 3,194.66[6] करोड़ अंश भी शामिल था।

निर्गम बैठक (मई 2025) में, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जवाब दिया कि राज्य वित्त विभाग से निधि न मिलना, टेंडर की प्रक्रिया में विलंब आदि राज्यांश जारी न होने के कारण थे।

3.3 राज्यांश जारी करने में बिलंब

भारत सरकार के अनुदान जारी करने के स्वीकृत आदेश में वर्णित था कि राज्य, स्वीकृत राशि की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जल जीवन मिशन की कार्यान्वयन एजेसी के एकल नोडल खाते में समतुल्य राज्यांश सहित उक्त राशि का निर्गम/हस्तांतरण सुनिश्चित करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य नोडल खाते में समतुल्य राज्यांश जारी करने में कई बार 15 दिनों से अधिक का विलंब हुआ था, जैसा कि नीचे **तालिका 3.4** में दिखाया गया है।

तालिका 3.4: जल जीवन मिशन में समतुल्य राज्यांश जारी करने में विलंब को दिखाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रांश जारी करने की तिथि	सम्बंधित केन्द्रांश	राज्यांश जारी होने की तिथि	संबन्धित राज्यांश	15 दिनों से अधिक की देरी
2019-20	04-10-2019	65.82	19-02-2020	24.27	123
			06-05-2020	40.58	200
2020-21	27-07-2020	111.38	19-09-2020	57.26	39
	29-10-2020	111.38	15-12-2020	105.53	32
	15-03-2021	111.38	04-05-2021	89.87	35
2021-22	13-05-2021	453.71	15-06-2021	321.95	18
			06-12-2021	91.62	192
			07-03-2022	16.67	283
			03-06-2022	12.88	371

[6] ₹ 3,285.38 * राज्यांश (49.30 प्रतिशत)/ केन्द्रांश (50.70 प्रतिशत)

2022-23	21-06-2022	491.03	29-09-2022	21.93	85
	02-09-2022	64.96	20-10-2022	64.96	33
	30-10-2022	555.99	28-12-2022	119.16	44
	02-02-2023	555.99	20-03-2023	354.83	31

(स्रोतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष राज्यांश जारी करने में विलंब हुआ था विशेषकर वर्ष 2019-20 एवं 2021-22 में। वर्ष 2019-20 भारत सरकार अंशदान की राशि ₹ 40.58 करोड़ तथा समतुल्य राज्यांश देय तिथि से 200 दिन के विलंब से अगले वित्तीय वर्ष में जारी की गयी थी। इसी प्रकार, वर्ष 2021-22 में राज्यांश जारी करने में 192 से 371 दिन का विलंब हुआ था। वर्ष 2022-23 में भी केन्द्रांश के विरुद्ध समतुल्य राज्यांश जारी करने में 31 से 85 दिन का विलंब हुआ था।

निर्गम बैठक (मई 2025) में, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जवाब दिया कि राज्य के बजट में आबंटन न होने के कारण राज्यांश जमा करने में विलंब हुआ था।

3.4 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि का जल जीवन मिशन में कम अंतरण

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अध्याय 4 में कहा गया है कि जल जीवन मिशन के प्रारंभ के साथ ही, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सभी परियोजनाएं जल जीवन मिशन में सम्मिलित मानी जाएगी। दिनांक 31 मार्च 2021 के बाद राज्यों के पास राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शेष राशि को जल जीवन मिशन के लिए जारी निधियों के साथ समायोजित किया जाना था।

अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2019-20 के उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम शेष ₹ 19.70 करोड़ था, जिसमें केंद्र का अंश ₹ 10.07 करोड़ एवं राज्य का अंश ₹ 9.63 करोड़ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य जल और स्वच्छता मिशन ने जून 2020 में केंद्राश के रूप में केवल ₹ 6.93 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में ₹ 6.90 करोड़ का अंतरण किया था एवं शेष ₹ 5.87 करोड़ जल जीवन मिशन नोडल खाते में अंतरित नहीं किए गए थे, जैसा कि **तालिका 3.5** में वर्णित किया गया है।

तालिका 3.5: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि का विवरण जिसका जल जीवन मिशन निधि में अंतरण नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

निधि	केंद्राश				राज्यांश			
अवयव	कवरेज	सहायता	जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी	कुल	कवरेज	सहायता	जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी	कुल
2019-20 के लेखापरीक्षित विवरण के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत शेष निधि	9.04	0.69	0.34	**10.07**	9.04	0.36	0.23	**9.63**
जल जीवन मिशन नोडल खाते में निधि अंतरण किया गया	6.83	0.03	0.07	**6.93**	6.83	0.02	0.05	**6.90**
निधि का कम अंतरण	2.21	0.66	0.27	**3.14**	2.21	0.34	0.18	**2.73**

(स्रोतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इसे इंगित किये जाने पर, मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन, रायपुर ने जवाब दिया कि (मई 2025) राज्य सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शेष राशि जारी न होने के कारण से इसका अंतरण नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक (मई 2025) के दौरान, सचिव ने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इस निधि के लिए राज्य वित्त विभाग से अनुपूरक बजट की मांग करेगा।

3.5 सामुदायिक अंशदान संग्रह न किया जाना

जल जीवन मिशन दिशानिर्देश के अनुच्छेद 6.1.2 में वर्णित है कि ग्राम में पाइप से जल आपूर्ति की अधोसंरचना एवं उससे जुड़े स्रोत के विकास के लिए, जिसे ग्राम पंचायत और/या उसकी उप-समिति लागू करेगी, समुदाय पूंजीगत लागत का पांच प्रतिशत हिस्सा देंगी। इसके अतिरिक्त, जल आपूर्ति प्रारम्भ करने के लिए समुदाय की सहमति एवं गाँव के कम से कम 80 प्रतिशत घरों का अंशदान जरूरी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य मिशन द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान वार्षिक कार्य योजना में अनुमानित ₹ 2,220.18 करोड़ की पूंजीगत लागत के विरुद्ध कोई भी सामुदायिक अंशदान संग्रहित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय समुदाय में स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देने एवं सुनिश्चित करने में विफल रहा था।

शासन ने जवाब दिया (मई 2025) कि जल जीवन मिशन दिशानिर्देश के अनुसार, यह राशि नकद के स्थान पर मज़दूरी के रूप में संग्रह की गई थी। यह जवाब तर्क संगत नहीं था क्योंकि छह चयनित ज़िलों के लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे अभिलेख नहीं पाये गये।

3.6 बाजार सर्वेक्षण के बिना दर अनुसूची का संशोधन

केन्द्रीय लोक निर्माण नियमावली के अनुच्छेद 4.3 में वर्णित है कि विभाग में दर अनुसूची अद्यतन किया जाना एवं संधारित किया जाना चाहिए। एकीकृत दर अनुसूची हर क्षेत्र में प्रचलित दरों पर

आधारित होना चाहिए एवं कार्य के प्रत्येक विवरण एवं उसकी अलग अलग स्थितियों के लिए दरों का आवश्यक विश्लेषण दर्ज किया जाना चाहिए।

फरवरी 2013 से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ में लागू एकीकृत दर अनुसूची के संशोधन के लिए प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा जुलाई 2018 में एक समिति का गठन किया गया था। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के पश्चात, मदवार विस्तृत दर विश्लेषण किये बिना जून 2020 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2018 में जारी एकीकृत दर की अनुसूचीं में दरों में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर सभी मौजूदा मदों में 1.679 प्रतिशत की वृद्धि कर एकीकृत दर अनुसूची को संशोधित किया गया था।

इसके अतिरिक्त एकीकृत दर अनुसूची में पेयजल आपूर्ति हेतु ओरिएंटेड-अनप्लास्टिसाईज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाईपों की आपूर्ति एवं बिछाने से संबन्धित नए मद को सम्मिलित करते समय दरों के निर्धारण में चूक हुई थी। इन दरों की गणना पाईपों की न्यूनतम कंपनी कीमत के आधार पर की गई थी जिसमें परिवहन, वस्तु एवं सेवाकर तथा तृतीय-पक्ष निगरानी प्रभार जोड़े गये थे किन्तु फिटिंग्स की लागत, बिछाने एवं जोड़ने हेतु मजदूरी, मशीनरी तथा अन्य आवश्यक व्ययों जैसे महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया था।

अतः वस्तुओं, सेवाओं, मजदूरी एवं मशीनरी के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर विस्तृत, मदवार दर विश्लेषण किये बिना एकीकृत दर अनुसूची के पुनरीक्षण से स्पष्ट होता हैं कि एकीकृत दर अनुसूची में संशोधन में अपेक्षित सतर्कता का अभाव रहा, जिससे अविश्वासनीय लागत अनुमान तैयार होने की संभावना उत्पन्न होती हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2024) कि जल जीवन मिशन को लागू करने में समय की कमी थी, अतः एकीकृत दर अनुसूची को मध्य प्रदेश में लागू एकीकृत दर अनुसूची के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कुछ प्रतिशत जोड़कर अद्यतन किया गया था। नई मदें जो मध्यप्रदेश की दर अनुसूची में उपलब्ध नहीं थीं, उन्हें बाज़ार दर विश्लेषण के आधार पर जोड़ा गया था। यह इंगित किये जाने पर, शासन ने जवाब दिया (मई 2025) कि उपलब्ध एकीकृत दर अनुसूची थोक मूल्य सूचकांक पर विचार करने के बाद मध्यप्रदेश की दर अनुसूची 2018 पर आधारित था।

जवाब से यह पुष्टि होता है कि एकीकृत दर अनुसूची को बिना विस्तृत दर विश्लेषण एवं बाज़ार सर्वेक्षण के पुनरीक्षित किया गया था।

3.7 एकीकृत दर अनुसूची में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की इकाई मूल्य का गलत आकलन एवं अधिक भुगतान

हर घर को पेयजल की नियमित एवं दीर्घकालिक आपूर्ति प्रदाय करने के मिशन के लक्ष्य को देखते हुए एकीकृत दर अनुसूची जून 2020 में एक नया मद "कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन" सम्मिलित किया गया था, जिसकी इकाई दर ₹ 6,969 थी। कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन का विस्तृत आकलन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने एकीकृत दर अनुसूची (जून 2021) में संशोधन क्रमांक-5 के द्वारा प्रकाशित किया था। विस्तृत दर विश्लेषण में दो हिस्से थे, अर्थात

अनुलग्नक-VI(अ) पीई-एएल-पीई कम्पोजिट पाइप, फ्लो कंट्रोल वाल्व (एफ.सी.वी.) के साथ इंटीग्रेटेड सैडल पीस, आदि का उपयोग करके वितरण पाइपलाइन से स्टैंड पोस्ट के कनेक्शन के लिए, जिसकी कीमत ₹ 4,225 थी एवं अनुलग्नक-VI(ब) प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जिसकी कीमत ₹ 2,744 थी।

दर के विश्लेषण की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत विश्लेषण में 12 त्रुटियां पाई, जैसे कि यूपीवीसी पाइप में कंक्रीट भरने के लिए शटरिंग की अनावश्यक लागत, बड़े आकार के जल के नल की दर, ओवरलैपिंग सीमेंट कंक्रीट कार्य की कटौती न करना, एक ही कार्य के लिए दोहरा प्रावधान, सीमेंट कंक्रीट सतह को ध्वस्त करने का अनावश्यक प्रावधान, वितरण पाईप के साथ कनेक्शन के लिए खुदाई एवं मिट्टी को फिर से भरने का अनुचित प्रावधान आदि, जो कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन दर को ₹ 1,556.31 प्रति इकाई बढ़ा रहा था जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में बताया गया हैं।

कुछ कार्य जिनके परिणामस्वरूप दोहरे प्रावधान हुए, का विवरण नीचे दिया गया हैं:

- इकाई दर में सीमेंट कंक्रीट की सतह को ध्वस्त करने, मिट्टी की खुदाई करने, खुदाई की गई मिट्टी को फिर से भरने तथा अंत में इंटीग्रेटेड सैडल पीस की स्थापना के बाद एम-15 कंक्रीट के साथ सीमेंट कंक्रीट सतह को पहले जैसी करना एवं समग्र पाइप को वितरण लाइन से जोड़ने का काम सम्मिलित है। इन मदों का भुगतान वितरण पाइपलाइन कार्य प्रदान करने एवं बिछाने के कार्य क्षेत्र के भीतर सम्मिलित था। इससे कार्यों का दोहरा प्रावधान हुआ।

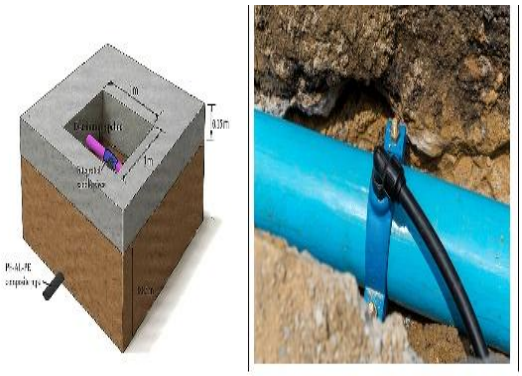

चित्र- 3.1: इंटीग्रेटेड सैडल पीस की स्थापना के लिए सीमेंट कंक्रीट सतह को ध्वस्त करने को दर्शाने वाली तस्वीर

- बड़े आकार के नल की दर का प्रावधान अर्थात कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की इकाई दर में 15 मिमी जीआई पाइप के लिए 20 मिमी टैप का प्रावधान किया गया था जबकि वास्तव में 15 मिमी वाले टैप का उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप स्थापित प्रत्येक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन में ₹ 56 की अधिक लागत का दावा किया गया था।

चित्र 3.2: कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन में उपयोग हो रहे 15 मिमी नल को दर्शाती तस्वीर

➢ प्लेटफार्म स्टैंडपोस्ट , बेड ब्लॉक एवं ड्रेन गैप में ओवरलैपिंग सीमेंट कंक्रीट कार्य की कटौती न करने के कारण प्रति कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन पर ₹ 43.32[7] अधिक लागत का दावा किया गया था।

बेड ब्लॉक का ओवरलैपिंग

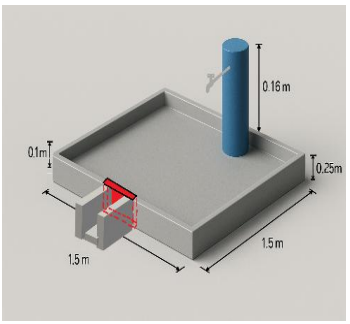

ड्रेन गैप की कटौती न करना

चित्र 3.1: स्टैंडपोस्ट, बेड ब्लॉक एवं ड्रेन गैप में सीमेंट कंक्रीट कार्य के ओवरलैप को दर्शाती तस्वीर

एकल ग्राम योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के लिए, 22 नमूना जांच की गई योजनाओं में लेखापरीक्षा ने पाया कि मदवार विस्तृत माप दर्ज किए बिना ही ठेकेदार को ₹ 6,969 प्रति कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की इकाई दर पर भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 54.46 लाख का अधिक भुगतान किया गया। चूंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में 34.29 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन स्थापित किए गए थे (मार्च 2024), अतः कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के गलत दर विश्लेषण के कारण ₹ 533.66 करोड[8] तक अतिरिक्त भुगतान की संभावना है।

सरकार ने कहा (मई 2025) कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सम्बंधित संभागों को अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सूचित किया (मई 2025) कि विभिन्न जिलों में 1,915 अनुबंधों से ₹ 53.25 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।

3.8 राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार

जल जीवन मिशन के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.5 के साथ पठित अनुच्छेद 7.10 में कहा गया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं को लागत एवं समय की वृद्धि के बिना लागू किया जाएगा। निविदा प्रीमियम के कारण किसी भी लागत में वृद्धि के मामले में, इसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा एवं केन्द्रांश से व्यय की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधन (जून 2022) के अनुसार केन्द्रांश से निविदा प्रीमियम के भुगतान की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन यह प्रावधान उन योजनाओं पर लागू नहीं था जिनके लिए 21 जून 2022 से पहले कार्यादेश प्रदान किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जून 2022 से पहले दिए गए कार्यों के संबंध में 11,055 योजनाओं की स्वीकृत लागत को निविदा प्रीमियम के कारण ₹ 7,840.94 करोड़ से संशोधित कर

---

7 बेड ब्लॉक में अन्तर्निहित सीमेंट कंक्रीट की मात्रा : $0.785*0.16^2*0.15m = 0.003$, ₹4774 प्रति घन मीटर की दर से = ₹14.32, प्लेटफार्म में सीमेंट कंक्रीट के काम की ओवरलैपिंग: $0.785*0.16^2*0.17m = 0.003$, ₹4774 प्रति घन मीटर की दर से = ₹15 एवं प्लेटफार्म की दीवार से प्लेटफार्म में ड्रेन गैप को न काटना $0.3*0.1*0.1m = 0.003$, ₹4774 प्रति घन मीटर की दर से = ₹14.32

8 ₹ 1,556.31*34,28,980 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन = ₹533.66 करोड़

₹ 8,366.58 करोड़ किया गया था। ₹ 525.64 करोड़ रुपये के इस लागत अंतर को केंद्र सरकार द्वारा साझा नहीं किया जाएगा। अतः राज्य सरकार को **तालिका 3.6** में दिए गए विवरण के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय बोझ वहन करना होगा।

तालिका 3.6: जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं की संख्या एवं पुनरीक्षित लागत का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	मूल प्रशासकीय स्वीकृति	संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति	अंतर
1	एकल ग्राम योजना	7,629	6,622.91	7,056.28	433.37
2	सौर	3,426	1,218.03	1,310.30	92.27
कुल		**11,055**	**7,840.94**	**8,366.58**	**525.64**

(स्रोतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि निविदाएं थोक मूल्य सूचकांक एवं स्थल की परिस्थितियों के आधार पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदित की गई थी। जल जीवन मिशन केन्द्रांश से निविदा प्रीमियम का भुगतान 21 जून 2022 से पहले अस्वीकार्य था, अतः इसे राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। अतः निविदा प्रीमियम राशि के लिए नए बजट मद के निर्माण का प्रस्ताव राज्य वित्त विभाग को भेजा गया है। यद्यपि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है।

3.9 सहायक गतिविधियों के अंतर्गत निधियों का कम उपयोग

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सहायक गतिविधियों में जागरूकता अभियानों के माध्यम से समुदायों को संगठित करना, स्थानीय हितधारकों को प्रशिक्षित करना एवं जल संसाधनों का स्वामित्व लेने के लिए ग्राम जल और स्वच्छता समिति को सुदृढ़ करना सम्मिलित है। दिशानिर्देशों के अंतर्गत दीर्घकालिक स्थायी संस्थागत तंत्र स्थापित करने हेतु जल के विवेकपूर्ण उपयोग, सामुदायिक अंशदान,आवश्यक विभिन्न मानव संसाधनों जैसे राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मेकेनिक, पम्प ऑपरेटर आदि के कौशल विकास के बारे में जागरूकता फ़ैलाने एवं समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यान्वयन सहायक एजेन्सियों की तैनाती की गई थी।

मिशन ने स्थानीय समुदायों के बीच सूचना, शिक्षा एवं संचार, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास एवं तृतीय पक्ष निरीक्षण करने के लिए सहायक गतिविधियों के रूप में राज्यों को वार्षिक आबंटन के पांच प्रतिशत तक का प्रावधान किया है। जल जीवन मिशन के राज्य नोडल खाते में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल धनराशि ₹ 11,855.73 करोड़ उपलब्ध थी एवं सहायक गतिविधियों के लिए राज्य के पास ₹ 592.79 करोड़ की राशि उपलब्ध थी। निधियों का वर्षवार आबंटन, सहायक गतिविधियों के लिए राज्य जल और स्वच्छता मिशन द्वारा जारी की गई सीमा एवं इसके वर्षवार उपयोग को **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्षवार निधि आबंटन एवं सहायक गतिविधियों के लिए निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी जल जीवन मिशन केन्द्रांश	जल जीवन मिशन केन्द्रांश (60 प्रतिशत) एवं समतुल्य राज्यांश (40 प्रतिशत) का अनिवार्य 5 प्रतिशत	सहायक गतिविधियों के लिए जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को आवंटित निधि		उपयोग किया गया	आबंटित निधि के विरुद्ध उपयोग में कमी	
			राशि	अधिदेशित के विरुद्ध आबंटन का प्रतिशत		राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7 (4-6)	8
2019-20	24.27	2.02	0	0	0	0.00	0
2020-21	290.15	24.18	7.82	32	5.61	2.21	28
2021-22	556.82	46.40	49.28	106	34.71	14.57	30
2022-23	2,236.86	186.41	92.81	50	84.23	8.58	9
2023-24	2,885.56	240.46	66.16	28	57.79	8.37	13
कुल	**5,993.66**	**499.47**	**216.07**		**182.34**	**33.73**	**16**

(स्रोतः मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 को छोड़कर, वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान सहायक गतिविधियों के लिए अनिवार्य ₹ 499.47 करोड़ की राशि के विरुद्ध केवल ₹ 216.07 करोड़, सहायक घटक के लिए राशि जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों द्वारा अधिदेश के रूप में आवंटित की गई थी।

अतः, सहायक गतिविधियों हेतु जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को कम धनराशि आबंटन के कारण, कार्यान्वयन सहायक एजेंसियाँ द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संचार आदि के लिए आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।